

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या 183 / 20 23





उनवान

श्री..... बनानाम श्री.....

उदयलाल

भागीरथ

धारा 88/88 प्रा0पत्र/राजस्व वाद

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
3/11/24	<p>बाद जॉच वाद/प्रार्थना पत्र/इंजराय/अपील पेश हुई, दर्ज रजिस्टर किया जावे। सूचना विपक्षीगणो को जरिये तलवाना के अनुसार जारी हो। पत्रावली दिनांक 3/11/2024 ... को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">   उपखण्ड अधिकारी  भीलवाड़ा </p> <p>3/11/24 पञ्जावली पैग हुयी। वकी एवं वकी काचिवक्ता अर्पित। प्रतिवादी सं. 01 के लगामत 03 स्वंग अर्पित, प्रतिवादी संख्या 04 के लगामत 03 के विरुद्ध वकी कोर्ट कार्रवाई नही चाहते है। वकी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के लगामत 3 भी कोर्ट से राजीनामा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादग्रस्त राजा के लेबेच्य में पञ्जावली के प्रथम राजीनामा हो जाने से पुकरण में वकी कोर्ट कार्रवाई नही चाहते है। उनके हाथ ही राजीनामे में हस्ताई निपेक्षा प्रार्थना पत्र को मिसाह करने की प्रार्थना की गई है, अतः वकी के स्वंग के प्रार्थना पत्र पर वाद पुकरण में कार्रवाई इसी तरह पर लगामत की जाती है। पञ्जावली केवल अलग अलग वाक्य वक्ता है।</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए</p> <p style="text-align: right;">   उपखण्ड अधिकारी  भीलवाड़ा </p> <p style="text-align: center;">    </p>

उपखण्ड अधिकारी/भीलवाड़ा